संख्या-9/2015/941एस0सी0/18-2-2015-34/12

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 9 सितम्बर, 2015

विषय- प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु चीनी उद्योग, कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 में संशोधन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 111 एस0सी0/18-2-2013-34/12 दिनांक 28 जनवरी, 2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित कर चीनी मिलों, आसवनियों व कोजनरेशन की स्थापना हेतु चीनी उद्योग, कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 लागू की गई है।

2- उक्त निर्गत नीति के अन्तिम प्रस्तर यथा-"छूट एवं रियायते की शर्त सं0-2" के अर्न्तगत व्यवस्था है कि चीनी मिल की स्थापना के लिए कम्पनी/ इकाई द्वारा नीति घोषित होने के 03 वर्ष के अन्दर व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जाएगा। कोजेन/आसवनी अथवा कोजेन और आसवनी स्थापित करने में कम्पनी/इकाई द्वारा नीति घोषित होने के 02 वर्ष के अन्दर व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जाएगा।"

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी उद्योग, कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के प्रस्तर यथा-"छूट एवं रियायते की शर्त सं0-2" में निम्न संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

"चीनी मिल की स्थापना के लिए कम्पनी/ इकाई द्वारा नीति घोषित होने के 03 वर्षों के अन्दर व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ किए जाने की शर्त के स्थान पर न्यूनतम 04 वर्ष का समय निर्धारित किया जाता है।"

4- तदनुसार उक्त सीमा तक नीति को संशोधित समझा जाए। नीति में प्राविधानित शेष अन्य व्यवस्था यथावत रहेगी।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-9/2015941(1)एस0सी0/18-2-14 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्टेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु लखनऊ।
10- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 लखनऊ।
11- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 लखनऊ।
12- निदेशक, गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर।
13- निदेशक, उ0प्र0 गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ।
14- निदेशक, सूचना निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
15- चीनी उद्योग अनुभाग-1 एवं 3
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।